

डी.पी.पी. अधिकारी उपकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य  
में लगे हुए पत्रावली पूर्वत दिनांक 3.3 को पेश हो  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वाराँ

पत्रावली पेश हुई। वकील शाफी उप.।  
यूकी प्रकृष्ट से संबंधित मूल वाद को  
अपम हाजरी अपम पेंची में स्वारिज  
डिया जा चुका है अतः न्यायालय  
इस डार्बना पत्र को आगे प्रेरका  
रखना उचित नहीं समझता है। अतः  
डार्बना पत्र स्वारिज डिया जाता है।  
पत्रावली कुलल शुमार दोकर नम्बर  
में कम है। यह निर्णय आज  
दिनांक 3.3.2025 को सरें बगलाल हुनाप)  
गया।

डी.पी.पी. सहरावत  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल